न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/66/19	01.10.2019	30–12–2019

1–मुन्शी पुत्र श्री कन्हीराम जाति अहीर निवासी ग्राम डाबडवास तहसील नीमराना
2–हरदयाल पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी ग्राम डाबडवास तहसील नीमरामा
3–जयदेव पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी ग्राम डाबडवास तहसील नीमाराना
4–राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी डाबडवास तहसील नीमाराना जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1–अमर सिंह पुत्र मकतूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम घीलोठ तहसील नीमराना
2–महीपाल पुत्र मकतूल सिंह जाति राजपूत निवासी घीलोठ तहसील नीमराना
3–उप खण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर।

––––अप्रार्थीगण

4–उप पंजीयक नीमराना तहसील बहरोड जिला अलवर
5–लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड जिला अलवर ––––तर0अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री महेश कुमार यादव –वकील प्रार्थी
02. श्री मनीष कुमार –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी अमरसिंह वगैरा बनाम मुन्शी वगैरा राजस्व वाद संख्या 1365/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस्तकरारहक वो हुक्म इम्तनाई दवामी को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में राजस्व वाद बअनुवानी अमरसिंह वगैरा बनाम मुन्शी वगैरा राजस्व वाद संख्या 1365/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस्तकरारहक वो हुक्म इम्तनाई दवामी विचाराधीन है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर मनमाने तौर पर सुनवाई की जा रही है और व्यक्तिगत रूचि रखकर मुकदमें का जल्दबाजी में निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नही की जा रही है विगत पेशी ऐलानिया तौर पर कहा कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से सुनकर फैसला कर दूँगा। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 कम में करने की दहशत व धमकी प्रार्थीगण को दी गई है। पीठासीन अधिकारी मनमाने तौर पर कार्यवाही कर असल अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का लाभ पहुंचाना चाहते है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 से सांठ गांठ कर ली

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

हैं। प्रार्थी ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय चैम्बर व उनके निवास स्थान पर आते जाते देखा है। प्रार्थी को पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करेगें, पीठासीन अधिकारी विपक्षीगण को बेजला लाभ पहुचाने की फिराक में है। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में पीठासीन अधिकाकरी नियमों के अनुरूप मुकदमें में बिना किसी व्यक्तिगत रूची के कार्यवाही कर रहें है। प्रकरण अभी वादी के साक्ष्य में चल रहा है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय का इजहार किया जाना सम्भव नहीं है और ना पीठासीन अधिकारी ने निर्णय का इजहार किया है। प्रतिवादीगण प्रकरण का निस्तारण नहीं कराना चाहते है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष विधिक प्रक्रिया के कार्य कर रहें है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 30–12–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर